<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>04.05.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप 01.05.2024 को परविंदर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी हलद्वानी, जिला,नैनीताल के आवास पर तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान आज तक 130.48 रुपये के बराबर मूल्य़ (लगभग) के 268.2263 बिटकॉइन जब्त किए गए।

ईडी ने अमेरिकी अधिकारियों से प्राप्त एमएलए अनुरोध के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 (आरए) के एक अनूठे प्रावधान को लागू करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के अनुरूप अनुसूचित अपराधों के साथ सीमा पार निहितार्थ के अपराध की जांच शुरू की। बनमीत सिंह और परविंदर सिंह नाम के भाई, अन्य लोगों के साथ सिंह डीटीओ (ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन) नाम से एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी समूह का संचालन कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में दवाएं बेचने के लिए डार्क वेब पर विक्रेता विपणन साइटों, स्पष्ट वेब वेबसाइटों पर कई मुफ्त विज्ञापनों और नशीले पदार्थों और नियंत्रित-पदार्थ वितरकों और वितरण कोशिकाओं के एक नेटवर्क का उपयोग किया। सिंह संगठन को डार्क वेब बाजारों पर बिक्री के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की आय प्राप्त हुई, फिर क्रिप्टो मुद्रा लेनदेन के माध्यम से उस आगम को वैध बनाया गया। दोनों भाइयों ने सिल्क रोड 1, अल्फा बे और हंसा सहित विभिन्न डार्क वेब बाजारों में उपनाम "लिस्टन" का इस्तेमाल किया।

जानकारी के अनुसार, उन्हें लिस्टन मॉनीकर्स से जुड़े बिटकॉइन प्राप्त हुए जो विभिन्न देशों में दवाओं की अवैध बिक्री के माध्यम से अपराध के आगम के अलावा और कुछ नहीं थे। अमेरिकी अधिकारी पहले ही हजारों करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन जब्त कर चुके हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी एक परिसर में की गई थी, जब परविंदर सिंह ने ईडी की हिरासत के दौरान, मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में अवैध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से अर्जित अपने आगम को समर्पित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इस मामले में, इससे पहले 26.04.2024 को भी चार परिसरों में तलाशी ली गई थी जिसमें डिजिटल डिवाइस और अन्य अपराध संकेती दस्तावेज़ जब्त किए गए थे। इस तलाशी के दौरान, परविंदर सिंह को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया और माननीय विशेष न्यायालय, देहरादून ने 7 दिन की ईडी हिरासत दी।

आगे की जांच जारी है।

****